...यालय, उपखण्ड अधिकारी, बीदासर, जिला चूरू राजस्थान

पिठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/2020

दिनांक 4-08-21

शान्ति देवी पत्नी कानाराम जाति जाट उम्र 46 साल निवासीनी ग्राम चक चाड़वास तसील बीदासर जिला चूरू

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत चाड़वास, पंचासत समिति बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. भंवरलाल पुत्र गणपतराम उम्र 71 वर्ष जाति नाई निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रामेश्वर उम्र 44 वर्ष जाति नाई नीवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. मोहीत पुत्र रामेश्वर उम्र 23 वर्ष जाति नाई नीवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. मनोज पुत्र रामेश्वर उम्र 21 वर्ष जाति नाई नीवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण

उपस्थित 1. रघुवीर भांभू एडवोकेट वास्ते अपीलान्ट

2. मोहम्मद शाहिद एडवोकेट वास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 01

3. परमानन्द बिजारणीया रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5

दिनांक :– 4/8/21

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की अपीलान्ट ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि उसने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 754/937 तादादी 2.4029 हैक्टेयर वाके रोही चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू का रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का हिस्सा 7/8 एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का 1/24 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा नावालीग अवस्था में उनकी प्राकृतिक संरक्षिका माता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने अपने अपने हिस्सा जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10/08/2011 के द्वारा अपीलान्ट को विक्रय किया तथा विक्रित खेत का कब्जा दखल वास्तविक रूप से अपीलान्ट का करवा दिया एंव वर्तमान में भी उक्त भुमि पर अपीलान्ट का कब्जा निर्बाद रूप से चला आ रहा है। व अपीलान्ट ने वादगत खेत खरीद करने के पश्चात से चारों ओर पट्टीयां रोप कर तारबन्दी कर रखी है व अपनी पुख्ता ढ़ाणी बना रखी है।

अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 से उनके खातेदारी हिस्सा पांती कि भुमि जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10/08/2011 के द्वारा खरिद की थी। अपीलान्ट एक ग्रामीण क्षेत्र की अनपढ़ महीला है जिसको कानून की जानकारी नहीं है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 से उनके खातेदारी हिस्सा पांती भुमि विक्रय पत्र के आधार पर खरीद की उस विक्रय पत्र की फोटो प्रति पटवारी हल्का को नहीं दे सकी जिसके कारण वादगत खेत की खातेदारी अपीलान्ट के नाम

लगातार 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned with CamScanner

राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हो सकी। तत्पश्चात अपीलान्ट ने अपने विक्रय पत्र कि फोटो प्रति मय प्रार्थना पत्र तहसीलदार को दिया तहसीलदार साहब बीदासर द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र कार्यवाही के लिए पटवारी हल्का चाड़वास को भेजा जिस पर पटवारी हल्का चाड़वास ने नामान्तरकरण संख्या 1899 दिनांक 17/06/2020 को मुताकि विक्रय पत्र भरा तथा हल्का गिरदावर से दिनांक 19/06/2020 को जांच करवाकर नामान्तरकरण को स्वीकृती के लिए ग्राम पंचायत चाड़वास की बैठक दिनांक 22/06/2020 को पेश किया। जिसको पंचायत चुनाव में अपीलान्ट का पति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खिलाफ होने के कारण उसके परिवार से रंजिश व नाराजगी रखने लगा जिस कारण अपीलान्ट का नामान्तरण संख्या 1899 को दिनांक 20/07/2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने "अपीलान्ट का विक्रय पत्र सन् 2011 का होने तथा इस विक्रय पत्र द्वारा नाबालीग मोहीत व मनोज कि भूमि की गई प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण भूलवश बताया गया है जो मानने योग्य नहीं है। नाबालीगगण भूमि विक्रय का इंतकाल 10–11 वर्षो तक दर्ज क्यूं नहीं किया गया। विक्रय पत्र में उल्लेखित भूमि नमक उधोग के चिपते होने के कारण मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रतित होना मानते हुए नामान्तरकरण अस्वीकृत कर खारीज किया है।" रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1899 को खारीज किया जो कतई कानून के विपरित जाकर खारीज किया गया है नाही रेस्पोडेनट संख्या 1 ने मौके कि जांच कि है नाही खारीज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया है ना ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 ने मनमाने तरीके से अपीलानट के पिछे चूनावी रंजींश के कारण नामान्तरकरण संख्या 1899 को खारिज किया है। जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नामान्तरकरण संख्या 1899 निरस्त किये जाने का आदेश निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के नाम नामान्तरण संख्या 1899 स्वीकृत किया जावे। अपीलानट ने नामान्तरण संख्या 1899 दिनांक 17/06/2020 की प्रमाणीत प्रति दिनांक 21/07/2020 को मिलने पर जानकारी हुई जिस पर यह अपील पेश की। उपरोक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत चाड़वास का है जिसकी बाबत् अपील सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान् जी को है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेनट को जरीये नाटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट जरीये वील उपस्थित हुए जिसमें रेस्पोडेनट संख्या 2 ता 5 की तरफ से इकबाल जवाब अपील दिनांक 18/09/2020 को पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने उपरोक्त विक्रय पत्र दिनांक 10/08/2011 को सही बताकर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन फरमाया व अपने अतिरिक्त कथनों में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 7/8 हिस्सा एंव रेस्पोडेन्टट संख्या 3 ता 5 का संयुक्त 3/24 हिस्सा के खातेदार कृषक होनें के नाते भूमि को अपीलानट को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10/08/2011को विक्रय करके कब्जा दखल वारतवीक रूप से वादगत खेत खरीद करने के दिनांक से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग करवा दिया व आज दिन चला आ रहा है व उपरोक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के भरण पोषण पढ़ाई लिखाई कि व्यवस्था के लिए अपीलान्ट को विक्रय की है जो सही है। आज दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 वालीग है वा उक्त विक्रय पत्र को स्वीकार करते है व साथ ही यह भी जाहीर किया की उपरोक्त विक्रय पत्र बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को किसी प्रकार की उजर आपत्ती नहीं है व अपीलान्ट का नामान्तरकरण की अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपती नहीं है। आदि आदि तय पेश किये।

अभिषाकगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी वहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत चाड़वास ने बिना कोई आधार के नामान्तरकरण संख्या 1899 खारीज किया है जिसको स्वीकार किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ उक्त नामान्तरकरण की छाया प्रति व विक्रय पत्र दिनांक 10/08/2011 का प्रस्तुत किया व नक्शा मौका एंव जमाबन्दी भी पेश की व निवेदन किया की अपीलान्ट ने उपरोक्त दस्तावेज ग्राम पंचायत चाड़वास में भी पेश किय थे। विक्रय पत्र व जमाबन्दी में ऐसा कोई अंकन का उल्लेखित भूमि नमक उधोग के चिपते हो व उपरोक्त भूमि किसी विवादीत हो जिस कारण ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार न

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

हो ऐसा कोई अंकन नहीं था। ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट को बिना सुने साक्ष्य सबुत पेश किये राजनितिक रंजिश वश उपरोक्त नामान्तरकरण को खारीज किया गया है। जिसको स्वीकार कर अपीलान्ट का राजस्व रेकार्ड मे बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में नीवेदन किया कि अपीलान्ट का विक्रय पत्र सन् 2011 का है व विक्रय पत्र में उल्लेखित भूमि नमक उधोग के चिपते है व नाबालीग मोहीत व मनोज की भूमि का विक्रय पत्र है जो इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। नामान्तरकरण सही खारीज किया गया है। अपील अपीलान्ट की इसी स्टेज पर खारीज फरमायी जाये।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाधिन नामान्तरकरण संख्या 1899 दिनांक 17/06/2020 केता शान्ति देवी पत्नी कानाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम चक चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान ने खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 स्वयं से व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 जरीये प्राकृतिक सरंक्षिका अपनी माता से उनका सम्पूर्ण हिस्सा खेत खसरा नंबर 754/937 तादादी 2.4029 हैक्टेयर वाके रोही चाड़वास से विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 10/08/2011 को खरीद किया गया व अपीलान्ट का आज दिन मौका पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होना रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के इकबाल जबाब अपील से प्रमाणीत है। ग्राम पंचायत चाड़वास का आदेश "नामान्तरकरण को इस आधार पर की विक्रय पत्र सन् 2011 का है व नाबालीग मोहीत मनोज की विक्रय भूमि है खरीद शुदा भुमि नमक उधोग के चिपते" है आदि कारणों के आधार पर खारीज होना मानकर नामान्तरकरण को अस्वीकार कर खारीज करने का आदेश दिया, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् नामान्तरकरण व पेश विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के द्वारा प्रस्तुत इकबाल जबाब दावा को पढ़ा गया जिससे स्पष्ट प्रतित होता है कि उक्त भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के खातेदारी की दर्ज है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा 7/8 व 3 ता 5 प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा भूमि दर्ज है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि के रूप में अंकित है राजस्व रेकार्ड में ऐसा कोई अंकन नहीं है कि उक्त भूमि ओधोगीक क्षेत्र नमक उधोग में आती हो वैसे ही रेस्पोडेनट संख्या 1 द्वारा उठाया गया प्रश्न की विक्रय पत्र का मूल्यांकन सही नहीं है। जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है इस आधार पर नामान्तरकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्राम पंचायत को इस विक्रय पत्र बाबत् यदि कोई आपति होती तो पहले सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र को खारीज करवाकर फिर नामान्तरकरण मेंउपरोक्त टिप्पणी अंकित कि जाती। ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण कार्यवाही क्षेत्राधिकार वहिन प्रतित होती है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का साबित है इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली में गहन अध्ययन एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकृत किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तरकरण संख्या 1899 दिनांक 17/06/2020 स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा जारी आदेश को अस्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत के फेसले को निरस्त किया जाता है व तहसीलदार बीदासर को निर्देशित किया जात है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 10/08/2011 खेत खसरा नंबर 754/936 तादादी 2.4029 हैक्टेयर वाके रोही चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू की नियमानुसार जांच कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 04/08/2021 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया जाकर हस्ताक्षर किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner